

भारत में खाद्यान्न सुरक्षा और विश्व भुखमरी सूचकांक

डॉ० अनुपमा वर्मा, एसो० प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, तिलक महाविद्यालय औरैया

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी वाला देश है। खाद्य और कृषि संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2014 से 2019 तक खाद्य असुरक्षा का दायरा 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वर्ष 2014 के सापेक्ष वर्ष 2019 तक 6.2 करोड़ अन्य लोग भी खाद्य असुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत तीन प्रमुख आयामों यथा— पहुँच, उपलब्धता, और उपयोग को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के सदस्य के रूप में भारत पर भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है। वर्ष 2014–16 में भारत की 27.8 प्रतिशत आबादी मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थी, जबकि वर्ष 2017–19 में यह अनुपात बढ़कर 31.6 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2014–16 में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या 42.65 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–19 में 48.86 करोड़ हो गई है।

खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य:—

खाद्य असुरक्षा को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुँच के रूप में परिभाषित किया जाता है। खाद्य असुरक्षा के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है।

खाद्य असुरक्षा के प्रकार:—

खाद्य असुरक्षा को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. **मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा:** मध्यम स्तरीय खाद्य संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोगों को कभी-कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता है।
2. **गंभीर खाद्य संकट:** गंभीर खाद्य संकट का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं और उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है।

भारत में खाद्य असुरक्षा के कारण:—

वर्तमान समय में भारत में खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। वर्तमान समय में भारत की लगभग एक चौथाई जनता गरीबी से जूझ रही है। ऐसे में ये आर्थिक कमी के कारण पोषण-युक्त भोजन खरीद नहीं पाते और कुपोषण का शिकार होते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण खाने के स्थान पर अधिक भोजन खाने को महत्त्व दिया जाता है, ऐसे लोगों में संतुलित भोजन के स्थान पर अनाज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इससे प्रोटीन तथा अन्य पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। इसके अलावा धार्मिक रुझानों के कारण मांसाहार के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति भी कुपोषण का एक कारण है। अंडा जैसे उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत में प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। हमारी सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति भी अनाजों के पक्ष में है। इससे कृषक प्रोटीन युक्त पदार्थों के स्थान पर अनाजों की खेती को अधिक

महत्त्व देते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा गरीबों की उचित पहचान नहीं हो पाने के कारण वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और खाद्य असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन जनता के लिये व्यापार की सुगमता के नाम पर खाद्यान्नों पर सब्सिडी कम करने का दबाव बना रहा है। इससे भारत सरकार गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध नहीं कर पाएगी जिससे भारत में कुपोषण की संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावा अवसंरचना के अभाव से भी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिये भंडारगृहों के कमी से लगभग 25 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है जिससे शेष अनाज की कीमत में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार सड़क जैसी अवसंरचना के अभाव के कारण खाद्य वस्तुओं की पहुँच कमजोर होती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी देते हुए बताया कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिये दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं। कोविड-19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होने की आशंका है। यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा:-

1^o बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता: सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीसिंग एक्ट
- c- राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम
1. सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट

2^ण लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना

खाद्यान्न तक पहुँच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से लोगों के पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी पहुँच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है। खाद्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो।

3^ण भोज्य पदार्थों का अवशोषण व उपयोग:-

खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसका समुचित उपयोग। भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर-खाद्य कारकों पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर है। बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिये जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

खाद्यान्न सुरक्षा के कार्यक्रम:-

खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है भोजन की उपलब्धता एवं उसकी मात्रा से है। लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में एवं पोषणयुक्त खाद्य

प्राप्त हो सकें। एक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है कि उसके परिवार में कोई भूखा न हो और उसके लिए अकाल का डर न रहे। खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएँ या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता के समय भोजन की उपलब्धता प्राप्त करने से हैं। पहले खाद्य सुरक्षा से आशय भरपेट भोजन से समझा जाता था। किन्तु आज खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुँच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुँचा है। जिससे वह स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जीने में समर्थ हो सके। सभी को पोषण युक्त आहार दैनिक आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त हो सके, जिससे परिवार के सभी लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएँ, बाढ़, अकाल, सूखा, प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी या जीवन के प्रतिकूल समय में पोषणयुक्त आहार प्राप्त करने से है। वर्तमान परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। आज खाद्य सुरक्षा भौतिक, आर्थिक या सामाजिक स्थितियों की पहुँच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक पहुँच गया है ताकि लोगों को जीवन के किसी भी पड़ाव में खाद्य संकट का भय न हो। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में सभी लोगों को समय पर शारीरिक बनावट के अनुसार खाद्य प्राप्त हो सके एवं कोई भूखा न रहे। यह एक क्रांतिकारी सोच है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब लोगों के पास खाद्य सुरक्षा होगी तो उसके स्वास्थ्यगत व्यय में कमी आयेगी एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे आय एवं बचत बढ़ेगी। जिसका उपयोग वह बेहतर जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार में

या परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेगा। इससे जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद मिलेगी।

सरकार के द्वारा भुखमरी की इस समस्या का निवारण करने के लिए बहुत सारी योजनाएँ बड़े स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख सरकारी योजनाओं का वर्णन निम्नवत् है—

(1) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली":— सरकार के द्वारा 1947 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी लोगों को 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ वितरण प्रारम्भ किया गया।

(2) "एकीकृत बाल विकास सेवा योजना":— इसमें नवजात शिशु से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे को, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छह प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

(3) "मिशन इन्द्रधनुष":— यह एक टीकाकरण योजना है, जो की 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिला को 12 प्रकार के वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए टीकाकरण करती है।

(4) "फूड एनरिचमेंट कार्यक्रम":— यह भारत सरकार के द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में प्रमुख पौष्टिक तत्व और विटामिन को मिलाकर उस खाद्य पदार्थ (चावल, गेहूँ, दाल) को और समृद्ध बनाना।

(5) "प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना":— इस योजना के अंतर्गत सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म लेने से

पहले और जन्म लेने के बाद तक उन्हें नगद प्रोत्साहन देती है ताकि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।

(6) "प्रधानमंत्री पोषण अभियान":— इस योजना को हम पहले 'मिड-डे-मिल योजना' बोलते थे जिसके अंतर्गत प्राथमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को भोजन प्रदान किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अल्पपोषण और एनीमिया का शिकार होने से बचाना है।

(6) "इट राइट इंडिया मूवमेंट":— इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया। यह एक ऐसी पहल है जो की भारतीय नागरिकों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन को सही तरीके से ग्रहण करने के लिए जागरूकता फैलाता है।

विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में तमाम प्रकार की संचालित खाद्यान्न योजनाओं के बावजूद भी भारत लगातार विश्व भुखमरी सूचकांक में पिछड़ता जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश में व्याप्त भूखमरी के स्तर को मापता है। जी0एच0आई0 की भी गणना वार्षिक की जाती है। अन्तरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसार "विश्व भुखमरी सूचकांक की गणना करते समय निम्नचरों को ध्यान में रखते हैं –

(अ) कुपोषण (ब) बच्चों का कम वजन एवं (स) बच्चों की मृत्यु दर


इस सूचकांक की गणना करते समय 100 के पैमाने पर विभिन्न देशों की स्थितियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर (0) शून्य का अर्थ कोई भुखमरी की

समस्या नहीं तथा 100 का अर्थ सबसे खराब कुपोषण की स्थिति से है । इस पैमाने के अनुसार

निम्न भुखमरी व कुपोषण	0 –9.9
मध्यम भुखमरी व कुपोषण	10.0–19.9
गम्भीर भुखमरी व कुपोषण	20.0–34.9
खतरनाक भुखमरी व कुपोषण	35.0–49.9

बेहद खतरनाक भुखमरी व कुपोषण 50 या उससे अधिक

2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भूख के विभिन्न पहलुओं के आधार पर वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति मध्यम एवं गम्भीर के बीच है। 2019 के हंगर इंडेक्स में भारत को 102 वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी नीचे है। स्पष्ट है कि भारत में अभी भी जी0एच0आई में स्थिति बहुत खराब है। इस प्रकार इस परिकल्पना की पुष्टि होती है कि भारत में विश्व भुखमरी सूचकांक में दयनीय स्थिति है। इसका मुख्य कारण बच्चों की अधिक मृत्यु दर है, खाद्यान्न उत्पादन व वितरण नहीं है।



संदर्भ :

1. एस व्यास विजय, फूड सिक्योरिटी इन एशियन कन्ट्रीज, न्यू देहली, एकैडमिक फाउंडेशन, 2005.
2. ओसवानी एस0आर0, न्यूट्रीशियन एवं पार्वटी, न्यू देहली, ऑक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस इन इण्डिया, 2000.
3. कुमार सुधीर पटेल, समकालीन दौर में खाद्य सुरक्षा योजना, नई दिल्ली, संसद मार्ग, योजना वॉ0 55, अंक 5, अक्टूबर, 2010.
4. कृष्णा एन एण्ड कृष्णा टी0एन0, पब्लिक सुपोर्ट फॉर फूट सिक्योरिटी : द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया, न्यू देहली, सेगा पब्लिकेशन, 2000.
- 5- कुमार पाण्डेय अशोक, भूमंडलीय भार में भूख का सवाल, दानिक बुक प्रकाशन, वैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी, भारत, 2009-10.